लम्बित वादों की समीक्षा हेतु दिनांक 07.12.2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आहूत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति संलग्न

कार्यवाही

कार्यपालक अभियंता, छपरा तथा यॉंत्रिक प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर बैठक में उपस्थित नहीं हुए। फलतः उनके प्रमण्डलों में लम्बित वादों की समीक्षा नहीं की जा सकी।

2. शेष प्रमण्डलों में लम्बित वादों की स्थिति निम्नवत् है:–

(i) **पटना पश्चिम:-** इस प्रमण्डल में दो मामले लम्बित थे। इसमें से एक मामले में आज तथ्य विवरणी उपलब्ध करा दिया गया है तथा एक मामले में ओथ लेने की सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

(ii) **भभुआ:-** मात्र एक वाद लम्बित था, जिसमें आज तथ्य विवरणी उपलब्ध करा दिया गया है।

(iii) **यॉंत्रिक प्रमण्डल, पटना:-** इस प्रमण्डल में दो वाद लम्बित थे, जिसमें तथ्य विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(iv) **सासाराम:-** मात्र एक ही मामला लम्बित था, जिसमें आज तथ्य विवरणी उपलब्ध करा दिया गया है।

(v) **हिलसा:-** दो मामले लम्बित थे। दोनों में आज तथ्य विवरणी प्राप्त करा दिया गया है।

(vi) **मुजफ्फरपुर:-** तीन मामले लम्बित थे। तीनों में आज तथ्य विवरणी प्राप्त करा दिया गया है।

(vii) **सिवान:-** चार मामलों के विरूद्व एक में अनुमोदित तथ्य विवरणी G.P- 21 को उपलब्ध करा दिया गया है। एक में प्रतिशपथ पत्र दायर कर दिया गया है। एक में तथ्य विवरणी उपलब्ध करा दिया गया है तथा एक का संबंध उनक`प्रमण्डल से नहीं है।

(viii) **गोपालगंज:-** मात्र एक मामला लम्बित था, जिसके विरूद्व प्रतिशपथ–पत्र दायर कर दिया गया है।

(ix) **यॉंत्रिक प्रमण्डल, गया:-** मात्र एक मामला लम्बित था, जिसके निष्पादित होने की सूचना दी गई है।

(x) **भागलपुर पश्चिम:-** मात्र एक मामला लम्बित था, जिसके विरूद्व तथ्य विवरणी उपलब्ध करा दी गई है।

(xi) **कटिहार:-** मात्र एक मामला लम्बित था, जिसमें प्रतिशपथ–पत्र दायर कर दिया गया है।

(xii) **मधेपुरा:-** मात्र एक मामला लम्बित था, जिसमें प्रतिशपथ–पत्र दायर कर दिया गया है।

(xiii) **औरंगाबाद:-** मात्र एक मामला लम्बित था, जिसमें प्रतिशपथ–पत्र दायर कर दिया गया है।

3– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा तथा यॉँत्रिक प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर एवं पटना को सभी लम्बित मामलों में दिनांक 09.12.2013 तक कार्रवाई करने का निदेश देने का निर्णय लिया गया।

4– कुल 32 वादों की स्थिति निम्नवत् है।

(i) 09 वादों में C/A दायर हो चुका है।

(ii) 11 वादों में S.O.F प्राप्त हो चुका है तथा

(iii) शेष 12 वादों के संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को दिनांक 09.12.2013 तक S.O.F उपलब्ध कराने का निदेश दिया जा चुका है।

ह0/–

(राघवजी राम)
मुख्य अभियंता (यॉँत्रिक)

For Email

ज्ञापांक– 3/विविध– 10119/13 – 1086 पटना/ दिनांक– 12/12/13

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अवर सचिव (श्री जावेद)/ प्रशाखा पदाधिकारी– 3/ विधि कोषांग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा तथा यॉँत्रिक प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राघवजी राम)
मुख्य अभियंता (यॉँत्रिक)